

केन्द्रीय भण्डारण निगम

तकनीकी विभाग

नियम पुस्तक

क्रमांक	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	चारा लगाने से पूर्व	कृंतकों को प्रलोभक चारा लेने का आदी बनाने के लिए उनके धावपथों पर बिना विष का प्रलोभक चारा एक या दो दिन तक रखा जाता है।	तकनीकी प्रभारी	
2.	विषाक्त प्रलोभक चारा	<p>i) कृंतकनाशी (तीव्र विष) की एकल मात्रा/खुराक</p> <p>क) जिंक फासफाइड को तीव्र विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे गेहूं, मक्का, बाजरा के आटे या चावल के आटे आदि जैसी प्रलोभक चारे की 3/4 चाय के प्याले की मात्रा को मूंगफली या सरसों के तेल की 1/2 चाय के चम्मच मात्रा और 2 ग्रा0 जिंक फॉसफाइड को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार किया जाता है। यह मात्रा 1500 एम टी क्षमता के गोदाम के लिए पर्याप्त होगी। प्रलोभक चारे को पूर्व प्रलोभक चारे के बाद कम से कम दो दिनों तक 4 या 5 स्थानों पर रखा जाएगा।</p> <p>ख) ब्रोमोडायोलिन भी स्कंदक रोधी एकल खुराक है जो कृंतकों में आंतरिक रक्तस्राव उत्पन्न करती है और जिसका प्रयोग प्रलोभक चारे में 0.005 प्रतिशत संकेन्द्रण पर होता है।</p> <p>ii) बहुमात्रा/खुराक कृंतकनाशी (दीर्घकालिक विष)</p> <p>प्रयोग के लिए तैयार सांद्र और विलायक रूप में उपलब्ध होता है। यह रोडफेरिन, रेटेफिन एवं रोडेथ आदि विभिन्न व्यापारिक नामों से बाजार में बेचा जाता है।</p> <p>क) बहुमात्रक स्कंदक रोधी शुष्क प्रलोभक चारा 5 चाय के चम्मच स्कंदक रोधक, 4 चाय के प्याले संदलित अनाज या आटा, 3 चाय के चम्मच चीनी, 2 चाय के चम्मच तेल को अच्छी तरह मिलकार तैयार किया जाएगा। यह मात्रा 1500 एम टी क्षमता के गोदाम के लिए पर्याप्त होगी। प्रलोभक चारे को एक कक्ष में 4-5 स्थानों पर रखा जाएगा तथा प्रत्येक दो या तीन दिन के बाद प्रलोभक चारे को पुनः बदल दिया</p>		

SL.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERENCE
1.	PRE-BAITING	Bait without poison is to be kept for one or two days in their runways to make them habitual of taking bait.	Technical Incharge	
2.	POISON BAITING	<p><u>i) Single dose Rodenticide (Acute Poison) -</u></p> <p>a) Zinc Phosphide is used as acute poison by mixing 3/4 of tea cup of bait material like crushed wheat, Maize, Bajra, Rice flour etc with 1/2 tea spoon of groundnut or mustard oil and 2 gms of Zinc Phosphide thoroughly. This quantity shall be sufficient for 1500 MT capacity godown. The bait shall be placed at 4 to 5 places after pre-baiting for atleast two days.</p> <p>b) Bromodioline is also a single dose anti-coagulant which causes internal haemorrhage in rodents used at 0.005 % concentration in bait.</p> <p><u>ii) Multi dose Rodenticide (Chronic Poison) -</u></p> <p>Available in concentrate, ready to use and soluble form. Marketed under different trade names Rodafarin, Ratafin & Rodeth etc.</p> <p>a) Dry baits with Multi dose anti - coagulants shall be prepared by mixing 5 tea spoon of anti-coagulant, 4 tea cup of crushed grain or atta, 3 tea spoon sugar, 2 tea spoon of oil thoroughly. This quantity shall also be sufficient for 1500 MT capacity godown. The baits shall be placed at 4 - 5 places in one compartment and after every two or three days bait should be replaced again and the process continued as per requirement.</p>	Technical Incharge	

- ख) प्रलोभक चारे को संकदक रोधी के साथ 5 चाय के चम्मच स्कंदक रोधी, 500 एम एल (3 चाय के प्याले) पानी में अच्छी तरह मिलाकर तैयार किया जाएगा तथा 4 समान भागों में बांटा जाएगा तथा शुष्क प्रलोभक चारे की तरह रखा जाएगा ।
3. धूमन गोदाम के भीतर एवं गोदाम के बाहर चूहों के तकनीकी सभी बिलों को गीली मिट्टी से बंद किया प्रभारी जाएगा । दूसरे दिन बंद बिलों की यह देखने के लिए जांच की जाएगी कि कितने बिल खुले हैं । इन खुले बिलों को ए एल फॉसफाइड की 1-2 गोलियां डालकर धूमन किया जाएगा । गोलियां डालने के बाद बिलों को गीली मिट्टी से बंद किया जाएगा । तीसरी दिन उन बिलों को जो खुले पाए गए हैं, उसी प्रकार धूमन किया जाएगा ।
4. चूहों को पकड़ना चूहों के पिजड़े, गन बोर्डों का प्रयोग चूहों को पकड़ने के लिए किया जाए ।

सावधानी :

1. प्रलोभक चारे के पात्रों को इस विशेष प्रयोग के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक प्रयोग के बाद अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए ।
2. प्रलोभक चारा तैयार करते समय और उसे रखते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएंगे ।
3. खाने, पीने या धूम्रपान से पहले हाथों को धोएं ।
4. उन स्थानों पर प्रलोभक चारा तैयार न करें अथवा उसका प्रयोग न करें जब भोजन, पशु, आहार सामग्रियों या पेय जल के संकमित होने का जोखिम हो ।
5. प्रलोभक चारे के पात्रों पर विष स्पष्टतः लिख दिया जाना चाहिए । द्रव प्रलोभक चारे को उपयुक्त कंटेनर में रखा जाना चाहिए ।
6. प्रलोभक चारे के सभी अवशेषों को हटा दें और नष्ट कर दें । सभी विषाक्त कृतकों को जला दें या दफना दें ।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION WORK INSTRUCTIONS FOR RODENT CONTROL WI/TECH/08

b) Wet baits with Anti-coagulant shall be prepared by mixing 5 tea spoon anti-coagulants, 500 ml (3 tea cup) of water mixed thoroughly and divided into 4 equal parts and shall be placed like dry bait.

3. FUMIGATION

All rat burrows in and outside the warehouse shall be closed by mud. On second day the closed burrows shall be checked for live burrows. These burrows shall be fumigated by putting 1 - 2 tablets of Al Phosphide. After putting the tablets the burrows shall be closed with mud. On the third day the burrows which are found to be opened may again be given the same treatment.

Technical Incharge

4. TRAPPING

Rat cages, gum boards shall be used for trapping rats.

PRECAUTION -

1. Bait containers should be set aside for this particular use and should be thoroughly washed with water after every usage.
2. Rubber gloves shall be worn while preparing and laying baits.
3. Wash hands before eating, drinking or smoking.
4. Do not prepare or use baits where there is risk of contaminating food, animal feeding stuffs or drinkir water.
5. Bait containers shall be clearly marked "POISON". Liquid baits should be placed in suitable container
6. Remove and destroy all remains of baits. Burn or burry all poisoned rodents.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

[Handwritten signature]
14.6.99

ISSUED BY

I *[Handwritten signature]*
II *[Handwritten signature]*
III *[Handwritten signature]*

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO 2 OF 2

क्रमांक	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	गांव का दौरा	<p>i) एफईएसएस कार्य के लिए नियुक्त तकनीकी स्टाफ 45 से 50 कि० मी० की परिधि में भांडागार से घिरे गांवों का दौरा करेंगे ।</p> <p>ii) वे (जहां अपेक्षित होगा) गांवों का बार-बार दौरा करेंगे और किसानों के सरपंच और खंड विकास अधिकारी को केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा दी गई भांडागार संबंधी सुविधा के बारे में अवगत कराने के लिए उनसे मिलेंगे ।</p>	तकनीकी प्रभारी	
2.	कृषकों का ज्ञानवर्धन करना	<p>i) कृषकों से समूहों में या पृथक रूप से संपर्क करके उनका ज्ञानवर्धन किया जाएगा ।</p> <p>ii) कृषकों को वैज्ञानिक भंडारण और कीट नियंत्रण के बारे में अवगत कराने के लिए उनमें प्रचार सामग्री वितरित की जाएगी ।</p> <p>iii) नए स्थानों पर छिड़काव, धूमन और चूहों को प्रलोभक चारा देने का प्रदर्शन निःशुल्क किया जाएगा ।</p>	तकनीकी स्टाफ	

CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATIONWORK INSTRUCTIONS FOR MONITORING
FARMERS EXTENSION SERVICE SCHEME

WI/TECH/09

S.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERENCE
1.	Village Visit	<p>i) Technical staff deputed for FESS work shall visit the villages surrounding the warehouse in a radius of 45 to 50 kms.</p> <p>ii) He shall visit the villages (where required) frequently and meet farmers, sarpanch and Block Development officer to make them aware of the warehousing facility provided by CWC.</p>	<p>Technical Staff</p> <p>Technical Staff</p>	
2.	Educating the Farmers	<p>i) Farmers shall be educated by contacting them in groups or individually.</p> <p>ii) Publicity material shall be distributed among them to make aware of scientific storage and pest control.</p> <p>iii) Demonstration of spraying, fumigation and rat baiting shall be done free of cost in new locations.</p>	Technical Staff	

APPROVED BY S.LAL, M(T)

ISSUED BY

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO 1 OF 1

S.Lal
14.6.99

I
II
III

1576
28/10

केन्द्रीय भण्डारण निगम

चट्टे का नक्शा बनाने और चट्टे को लाइन में करने एवं चट्टा लगाने के लिए कार्य अनुदेश

डब्ल्यूआई/टीईसीएच/10

क्रमांक क्रियाकलाप

विवरण

दायित्व

संदर्भ

1. चट्टे का नक्शा बनाना

i) चट्टे का नक्शा इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि चट्टों से गोदामों में प्रकाश और वायु का निर्मुक्त प्रवाह बाधित न हो ।
ii) चट्टों के बीच में न्यूनतम ढाई फुट चौड़ा स्थान, दीवार और चट्टे के बीच 2 फुट और दरवाजे के स्थानों पर लंबी गैलरी के रूप में 4 फुट का स्थान छोड़ा जाएगा ताकि प्रचालन कार्य किया जा सके ।

तकनीकी प्रभारी

तकनीकी स्टाफ

2. चट्टा लाइन

i) चट्टा लाइन की अधिमन्य चौड़ाई 5 से 10 मी० या 2 इंच होती है ।
ii) चट्टे की लाइन का रंग पीला या सफेद होता है ।
iii) चट्टा लाइन पूरी लम्बाई में सभी चार साइडों पर खींची जाएगी ।
iv) प्रत्येक चट्टे के लिए चट्टा नंबर दिया जाएगा जिसे प्रत्येक चट्टे के सामने फर्श/दीवार/स्तंभ पर साफ साफ पेन्ट किया जाएगा ।

3. चट्टाबंदी

i) बोरियों/कंटेनरों/पैकेजों में बंद आवश्यक सामग्री की चट्टा बंदी उपलब्ध उपयुक्त निभार बांस की चट्टाइयां/पालीथिन केट आदि पर चिह्नित चट्टों में की जाएगी ।
ii) आवश्यक वस्तुओं का चट्टा उनकी निर्धारित उंचाई तक ही लगाया जाएगा ।
iii) चट्टे चट्टा लाइनों द्वारा बनाए गए निशान के चट्टा क्षेत्र के अंतर्गत एक रूप सीधी रेखा में लगाए जाएंगे ।
vi) आवश्यक प्रविष्टियों के साथ चट्टा कार्ड लंबी गैलरी साइट की ओर प्रत्येक चट्टे पर लगाया जाएगा ।

S.NO.	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERENCE
1	Stack Planning	<ul style="list-style-type: none"> i. Stack Plan shall be prepared in such a manner that the stacks shall not obstruct light and free flow of air into godowns. ii. A minimum of 2 ½ feet wide space between stacks, 2 ft. between wall and stack and 4 ft. between door points as haulage alleyway should be provided for operational purpose. iii. The total space provided for alleyways/operational purpose shall not exceed 27% of the total floor area of the godown. 	Technical Incharge	
2	Stack Line	<ul style="list-style-type: none"> i. Preferable width of stack line = 5 cms or 2" ii. Colour of stack line = Yellow or white. iii. Stack line shall be drawn on all four sides to full length. iv. Each stack shall be given stack number neatly painted on the floor/wall/pillar in front of each stack. 		
3	Stacking	<ul style="list-style-type: none"> i. Stacking of commodities in bags/containers/packages shall be done in the identified stacks on a suitable available dunnage (Bamboo mats/Polythene film/crates etc.) ii. Commodities shall be stacked upto their prescribed height only. iii. Stacks shall be built in straight line uniformly within the stack area earmarked by stack lines. iv. Stack card with necessary entries shall be provided on every stack on haulage alleyways side. 		

APPROVED BY S.LAL, M(T)

(Signature)
14.6.99

ISSUED BY

I *(Signature)* 1576
II *(Signature)* 28710
III

ISSUE NO 1
PAGE REV NO NIL
PAGE NO 1 OF 1

क्रमांक	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ																			
1.	नमूना लेना	<p>i) प्रमाणित बीजों को छोड़कर, धूमन योग्य स्टॉकों का नमूना लिया जाएगा। बीजों के मामले में उनकी अंकुर क्षमता के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।</p> <p>ii) प्रतिनिधिक नमूने निम्नलिखित के मामले में लिए जाएंगे :</p> <p>क) बोरियों में बंद खाद्यान्नों से नमूने लेने की रीति</p> <p>i)केवल खाद्यान्नों के मामले में सैम्पल पारखी की सहायता से लिया जाएगा। अन्य वस्तुओं के मामले में नमूने भंडारण पद्धतियों की संहिता के अनुसार लिए जाएंगे।</p> <p>ii)बोरियों को सभी ओर से और सबसे उंची परत से एक या दो बोरियां हटाकर टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में बेतरतीब रूप में चुना जाएगा।</p> <p>iii)सैम्पल के लिए ली गई बोरियों की संख्या नीचे दी गई है।</p> <table border="0"> <tr> <td>लॉट का आकार</td> <td>बोरियों की संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>10%</td> <td>या न्यूनतम 5 बोरियां</td> </tr> <tr> <td>100 से अधिक</td> <td>5 %</td> <td>या 50 बोरियां</td> </tr> </table> <p>ख) खाद्यान्नों के ढेर से नमूने लेने की रीति नमूने/सैम्पल विभिन्न साइडों और नीचे दिए गए लॉट आकार के अनुसार विभिन्न किनारों,स्थलों और गहराई से लिए जाएंगे -</p> <table border="0"> <tr> <td>लॉट का आकार</td> <td>स्थानों की संख्या</td> </tr> <tr> <td>300 एम टी तक</td> <td>30 विभिन्न स्थान</td> </tr> <tr> <td>300 एम टी से अधिक</td> <td>30 विभिन्न स्थान</td> </tr> <tr> <td>1000 एम टी तक</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000 एम टी से अधिक</td> <td>100विभिन्न स्थान</td> </tr> </table> <p>ग) पैक की हुई वस्तुएं गैर खाद्यान्न कॉटन,लकड़ी की पेटियों,सील किए हुए टिनों,डोरी और टाट के बने ड्रमों को 'सैड टू कन्टेन बेसिस' पर स्वीकार किया जाएगा।</p> <p>घ) प्रतिनिधिक सैम्पल तैयार करना</p>	लॉट का आकार	बोरियों की संख्या		100	10%	या न्यूनतम 5 बोरियां	100 से अधिक	5 %	या 50 बोरियां	लॉट का आकार	स्थानों की संख्या	300 एम टी तक	30 विभिन्न स्थान	300 एम टी से अधिक	30 विभिन्न स्थान	1000 एम टी तक		1000 एम टी से अधिक	100विभिन्न स्थान	तकनीकी प्रभारी	
लॉट का आकार	बोरियों की संख्या																						
100	10%	या न्यूनतम 5 बोरियां																					
100 से अधिक	5 %	या 50 बोरियां																					
लॉट का आकार	स्थानों की संख्या																						
300 एम टी तक	30 विभिन्न स्थान																						
300 एम टी से अधिक	30 विभिन्न स्थान																						
1000 एम टी तक																							
1000 एम टी से अधिक	100विभिन्न स्थान																						

S.N O	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSI -BILITY	REFERENCE														
1.	SAMPLING	<p>i) Sampling shall be done for fumigable stocks except certified seeds. Viability certificate is to be checked in case of seeds.</p> <p>ii) representative samples shall be drawn in case of</p> <p>: A) BAGGED CUSTOM -</p> <p>i) Sample shall be drawn with "PARKHI" in case of foodgrains only. In case of other commodities sample shall be drawn as per the CODE OF STORAGE PRACTICES .</p> <p>ii) bags shall be selected at random in zig-zag position from all sides and top layer of the stack after removing one or two bags.</p> <p>iii) the number of bags to be sampled shall be as given below-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOT SIZE</th> <th>NO OF BAGS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I) upto 100</td> <td>10 % or minimum 5 bags</td> </tr> <tr> <td>II) above 100</td> <td>5 % or 50 Bags</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) BULK CUSTOM - Sample shall be collected at random from different sides, points and depth as per the lot size given below-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOT SIZE</th> <th>NO OF SPOTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>upto 300 MT</td> <td>30 differnt spots</td> </tr> <tr> <td>over 300 MT to 1000 MT</td> <td>50 different spots</td> </tr> <tr> <td>over 1000 MT</td> <td>100 different spots.</td> </tr> </tbody> </table> <p>C) PACKED COMMODITY - Non foodgrain cartons, wooden chest, sealed tins, lined gunnies drums, shall be accepted on "SAID TO CONTAIN BASIS".</p> <p>D) Preparation of representative Sample</p>	LOT SIZE	NO OF BAGS	I) upto 100	10 % or minimum 5 bags	II) above 100	5 % or 50 Bags	LOT SIZE	NO OF SPOTS	upto 300 MT	30 differnt spots	over 300 MT to 1000 MT	50 different spots	over 1000 MT	100 different spots.	Technical Incharge	ID/TECH/CSP
LOT SIZE	NO OF BAGS																	
I) upto 100	10 % or minimum 5 bags																	
II) above 100	5 % or 50 Bags																	
LOT SIZE	NO OF SPOTS																	
upto 300 MT	30 differnt spots																	
over 300 MT to 1000 MT	50 different spots																	
over 1000 MT	100 different spots.																	

Approved By I.C.CHADDA
 MANAGER (TECHNICAL)

Amal
 25/1/2013

Issued By
 I QAD
 II
 III

[Signature]
 12/11/13

Issue No 2
 Page Rev No Nil
 Page No 1 of 5

2.	नमी का निर्धारण	<p>क) प्राप्ति कार्य के दौरान</p> <p>i) 2 कि०ग्रा० सैम्पल प्रत्येक लॉट/चट्टा के प्रत्येक साइड से 'पारखी' की सहायता से तामचीनी चढी प्लेट में लिये जाएंगे । इसे पूरी तरह से मिलाया जाएगा जिससे संयुक्त समरूपी प्रतिनिधिक सम्पल तैयार किया जाए तथा उसे प्रत्येक 500 ग्रा० वनज के चार भागों में विभक्त किया जाएगा ।</p> <p>ii) एक सैम्पल का कीटग्रसन श्रेणीकरण, ग्रेड निर्धारण और नमी की मात्रा का पता लगाने के लिए विश्लेषण किया जाएगा तथा अन्य तीन सैम्पलों को तीन सैम्पल बोरियों में भरा जाएगा और उनमें स्टॉक के विवरण जमाकर्ता के हस्ताक्षर सहित रखे जाएंगे और उन्हें सील कर दिया जाएगा । एक सैम्पल को विश्लेषण रिपोर्ट के साथ जमाकर्ता को सुपुर्द किया जाना चाहिए तथा अन्य दो सैम्पलों को संदर्भ सैम्पल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा ।</p> <p>iii) यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में कोई विवाद नहीं हो तो पूरे लॉट की सुपुर्दगी के समय सैम्पल जमाकर्ता को वापस कर दिए जाएंगे ।</p> <p>ख) भंडारण के दौरान</p> <p>पाक्षिक निरीक्षण के लिए तकनीकी प्रभारी द्वारा विश्लेषण, वर्गीकरण, श्रेणीकरण के लिए केवल एक प्रतिनिधिक सैम्पल लिया जाएगा ।</p> <p>i) स्टॉक प्राप्ति/जारी के समय नमी तुरन्त दर्ज की जाएगी । नमी का निर्धारण नमी मीटर से किया जाएगा ।</p> <p>सैम्पल की विहित मात्रा नमी मीटर में लगे मापन कप द्वारा ली जाएगी ।</p> <p>ii) अंशांकन की जांच करने के बाद सैम्पल की निर्धारित मात्रा युक्त कप को निम्न टर्मिनल प्लेट पर रखा जाएगा तथा हैंडिल को घुमाकर लॉक कर दिया जाएगा ।</p>	तकनीकी प्रभारी	ईडी/टीईसीएच/01 एफटीईसीएच/27
----	-----------------	--	----------------	--------------------------------

		<p>(A) DURING RECEIPT OPERATION</p> <p>i) 2 Kg sample shall be drawn from all sides of each lot/stack with the help of Parkhi on an enamelled plate. It shall be mixed up thoroughly to prepare composit homogenous representative sample and divided into four parts weighing 500 gm each.</p> <p>ii) one sample shall be analysed for infestation, categorisation, grading and moisture contents and other three samples shall be filled in 3 sample bags having details of stock and signature of depositor and shall be sealed. One sample should be handed over to the depositor along with analysis report and other sample shall be preserved as a reference sample.</p> <p>iii) Sample shall be returned to the depositor at the time of delivery of full lot in case there is no dispute regarding quality.</p> <p>(B) DURING STORAGE</p> <p>Only one representative sample shall be drawn for analysis, classifica-tion, Categorisation by Technical Incharge in Fortnightly Inspection / I.O from R.O/C.O.</p>		
2.	<p>DETERMINA-TION OF MOISTURE CONTENT AND DOCUMENTA-TION</p>	<p>i. Moisture content shall be recorded promptly for each LOT (At the time of receipt each lot shall comprise of the number of bags received in one vehicle – Wagon, Truck, Trailer, bullock cart etc. and weighted average of moisture content of all the lots received in a stack shall be taken as receipt moisture of that particular stack.</p> <p>At the time of issue each lot shall comprise of number of bags delivered per day from each stack.)</p> <p>ii. Moisture content shall be determined by using moisture meter conforming</p>	<p>Technical Incharge</p>	<p>ED/TECH/01 F/TECH/27</p>

Approved By I.C.CHADDA
 MANAGER (TECHNICAL)

Handwritten signature and date: 28/11/03

Issued By
 I QAD
 II
 III

Handwritten signature and date: 12/11/03

Issue No 2
 Page Rev No Nil
 Page No 2 of 5

3.	वर्गीकरण	<p>iii) नमी मीटर में लगी मोटाई सारणी के अनुसार सैम्पल को संस्तुत मोटाई तक संपीडित किया जाएगा तथा मीटर में आई रीडिंग को नोट किया जाएगा । नमी की अंतिम रीडिंग का निर्धारण नमी मीटर की अनुदेश नियम पुस्तक में दी गई कार्यविधि के अनुसार किया जाएगा ।</p> <p>सैम्पल की छननी सेट की सहायता से यह जानने के लिए जांच की जाएगी कि उसमें जीवित कीटों की मौजूदगी तो नहीं है । परिणाम का वर्गीकरण नीचे दिए गए के अनुसार किया जाएगा ।</p> <table border="0"><tr><td>कीटों की संख्या</td><td>वर्गीकरण</td></tr><tr><td>माइनर/मेजर</td><td>प्रति कि०ग्रा10</td></tr><tr><td>शून्य</td><td>साफ</td></tr><tr><td>2 तक</td><td>कुछ</td></tr><tr><td>2 से अधिक</td><td>भारी</td></tr></table>	कीटों की संख्या	वर्गीकरण	माइनर/मेजर	प्रति कि०ग्रा10	शून्य	साफ	2 तक	कुछ	2 से अधिक	भारी	नमी मीटर नियम पुस्तक	तकनीकी प्रभारी
कीटों की संख्या	वर्गीकरण													
माइनर/मेजर	प्रति कि०ग्रा10													
शून्य	साफ													
2 तक	कुछ													
2 से अधिक	भारी													

		<p>to IS specifications and by following the prescribed procedure given in the moisture meter manual.</p> <p>iii. Average receipt moisture content of the particular stack will be calculated as per following method.</p> $\frac{n_1 m_1 + n_2 m_2 + \dots + n_r m_r}{n_1 + n_2 + \dots + n_r}$ <p>Where: n₁ = Nos. of bags received in lot No.1 m₁ = Moisture content of lot no.1 n_r = Nos. of bags received in lot No.r. m_r = Moisture content of lot no.r.</p> <p>iv. Similarly average moisture content at the time of delivery will be calculated in the same way mentioned above.</p> <p>v. Moisture content of each lot will be recorded in the moisture content register both at the time of receipt and issue.</p> <p>vi. Moisture content of each lot received/issued on a particular date will also be got authenticated from the depositor's representative wherever in position. In other cases where depositor's representative is not available and or stock having abnormal moisture content, laid down procedure shall be followed.</p>		<p>F/TECH/27</p> <p>ED/TECH/01</p>								
3.	CLASSIFICATION	<p>The sample shall be checked to know if any live infestation is present therein with the help of sieve set. The result shall be classified as given -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO. OF INSECTS (MINOR/MAJOR)</th> <th>CLASSIFICATION (PER KG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIL</td> <td>CLEAR</td> </tr> <tr> <td>UPTO 2</td> <td>FEW</td> </tr> <tr> <td>ABOVE 2</td> <td>HEAVY</td> </tr> </tbody> </table>	NO. OF INSECTS (MINOR/MAJOR)	CLASSIFICATION (PER KG)	NIL	CLEAR	UPTO 2	FEW	ABOVE 2	HEAVY	Technical Incharge	
NO. OF INSECTS (MINOR/MAJOR)	CLASSIFICATION (PER KG)											
NIL	CLEAR											
UPTO 2	FEW											
ABOVE 2	HEAVY											

Approved By I.C.CHADDA
 MANAGER (TECHNICAL)

Handwritten signature and date: 26/12/03

Issued By
 I QAD
 II
 III

Handwritten signature and date: 12/11/03

Issue No 2
 Page Rev No Nil
 Page No 3 of 5

		कीटग्रसित स्थिति में प्राप्त स्टॉकों का धूमन के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार धूमन किया जाएगा ।		
4.	श्रेणीकरण	<p>सैम्पल का वर्गीकरण करने के लिए अपेक्षित उपकरण हाथ तराजू, रूलर सीव सेट, स्कूप, तामचीनी प्लेटें, बुश आदि हैं । स्टॉक का श्रेणीकरण आयतन या वजन के आधार पर किया जाएगा ।</p> <p>क गेहूं/बाजरा/ज्वार/धान</p> <p>i) विश्लेषण के लिए 20 ग्राम प्रतिनिधिक सैम्पल लें ।</p> <p>ii) सैम्पल को तामचीनी ट्रे पर समतल फैला दें ।</p> <p>iii) भंडारण पद्धतियों की संहिता में यथा उल्लिखित सभी पृथक अपवर्तनों को इकट्ठा करें ।</p> <p>iv) प्रत्येक अपवर्तन की प्रतिशतता का परिकलन करें ।</p> <p><u>फार्मूला</u></p> <p>प्रत्येक अपवर्तनों का वजन X 100</p> <p>20</p> <p>v) प्रत्येक अपवर्तन की प्रतिशत पर आधारित, भण्डारण पद्धतियों के संहिता में दिए गए अपवर्तन के अनुसार वस्तुओं का श्रेणीकरण करें ।</p>	तकनीकी प्रभारी	आईडी/टीईसीएच/सीएसपी
5.	ग्रेड निर्धारण	<p>500 ग्राम वजन के सैम्पल को छननी में डाला जाएगा । छननी सेट को सबसे बड़े छिद्रों को सबसे उपर रखते हुए आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा ।</p> <p>ii) वांछित सामग्री को छानकर बाहर निकालने के उद्देश्य से छननी को विभिन्न स्तरों पर हिलाया जाएगा ।</p> <p>iii) छननियों को अलग करने के बाद अवांछित तत्व को उठा लिया जाएगा तथा सबसे निचली प्याली में एकत्रित तत्व को अवांछित तत्व का प्रतिशत निकालने के लिए रख लिया जाएगा ।</p> <p>iv) उसके बाद छननी की सामग्री को एक साथ मिलाकर कांच की सतह पर पतला पतला समतल फैला दिया जाएगा ।</p>	तकनीकी प्रभारी	

		Stocks received in infested condition shall be fumigated in line with the procedure for fumigation.		
4.	CATEGORISATION	<p>To analyse the sample the equipment required are physical balance, ruler sieve set, scoops, enamel plates, brushes etc. Categorisation of the stock shall be done on volume or weight basis.</p> <p>a) WHEAT / MILO / JOWAR / PADDY</p> <p>i) Take 20 gms of representative sample for analysis.</p> <p>ii) Spread the sample evenly on the enamel tray.</p> <p>iii) Segregate all different refractions as given in CODE OF STORAGE PRACTICES.</p> <p>iv) Calculate the percentage of each refraction. (FORMULAE) $\frac{\text{Weight of each refractions} \times 100}{20}$</p> <p>v) Based on % of each refraction, categorise the commodity as per refraction given in the CODE OF STORAGE PRACTICES.</p>	Technical Incharge	ID/TECH/CSP
5.	GRADING	<p>The sample of 500gm. shall be poured over the sieves. The sieve set arranged in the order of size with the largest perforation at the top.</p> <p>ii) The sieve shall be agitated to strain out the foreign matter at various level.</p> <p>iii) After separating the sieves foreign matter shall be picked up and the foreign matter collected on the bottom pan shall be added to work out the percentage of foreign matter.</p> <p>iv) The contents of the sieves may then be mixed together and spread out evenly on a glass surface in thin layer.</p>	Technical Incharge	

Approved By I.C.CHADDA
MANAGER (TECHNICAL)

Amesha
25/12/03

Issued By
I QAD
II
III

KS
24
12/11/03

Issue No 2
Page Rev No Nil
Page No 4 of 5

		<p>v)इसमें से ठीक 50 ग्रा0 की मात्रा विभिन्न साइडों और मध्य से कलछी से निकाल ली जाएगी ।</p> <p>vi)उसके बाद विभिन्न अपवर्तनों को अलग किया जाएगा तथा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित सीएसपी समरूप विनिर्देशों के अनुसार उनका ग्रेड निर्धारित किया जाएगा ।</p>		सरकार द्वारा समरूप विनिर्देश
--	--	--	--	------------------------------

	<p>v) From this exactly 50 gm shall be scooped out from different sides and middle.</p> <p>vi) Then different refractions shall be separated and graded as per CSP Uniform Specifications declared by Government every year.</p>		<p>Uniform Specification by Govt.</p>
--	--	--	---------------------------------------

Approved By I.C.CHADDA
MANAGER (TECHNICAL)

AmSD
25/12/03

Issued By
I QAD
II
III

AmSD
12/11/03

Issue No 2
Page Rev No Nil
Page No 5 of 5

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	जमाकर्ता की सहमति	मानकीकरण जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर किया जाएगा।	भांडागार प्रबन्धक	
2.	चट्टे से अलग करना	i) गैर मानक की बोरियों को सफाई से चट्टे से अलग कर दिया जाएगा ताकि बकाया स्टॉक की गिनती बने रहे। ii) दिन की कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में बोरियों को मानकीकरण के लिए लिया जाएगा।	गोदाम प्रभारी	
3.	वजन करना	i) मानकीकरण करने से पहले तराजू की जांच करें। ii) टाट की बोरी यदि अप्रयोज्य हो गई है तो उसे बदल दिया जाएगा। iii) बोरी का वजन तराजू पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वजन में कोई अंतर नहीं है, प्रत्येक बोरी का मानकीकरण किया जाता है।	गोदाम प्रभारी	
4.	चट्टाबंदी	मानकीकृत बोरियों की उचित चट्टाबंदी की जाएगी।	गोदाम प्रभारी	
5.	मानकीकरण	मानकीकरण क्षति कुल प्राप्तियों/मानकीकरण के लिए जारी बोरियों के ब्रांड वजन से प्राप्त मानकीकृत बोरियों के कुल निवल वजन को काटकर प्राप्त की जाती है।	गोदाम प्रभारी	
6.	प्रमाणीकरण	जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि का प्रमाणीकरण मानकीकरण रिपोर्ट पर किया जा सकता है।	भांडागार प्रबन्धक	एफ/टीईसीएच/23

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR STANDARDISATION WI/TECH/02
OF NON STANDARD BAG

S.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERANCE
1.	DEPOSITOR'S CONSENT	Standardisation shall be done with the written request of the depositor.	Warehouse Manager	
2.	DESTACKING	i) Non standard bags shall be destacked neatly to maintain the countability of the balance stock ii) Sufficient number of bags for days operation will be taken for standardisation	Godown Incharge	
3.	WEIGHMENT	i) Check weighing scale before carrying out standardisation. ii) Gunny will be changed if unserviceable iii) Weighment of the bag will be done on weighing scale. Each bag is standardised to ensure no variation in weight.	Godown Incharge	
4.	STACKING	Stacking of standardised bags shall be done properly.	Godown Incharge	
5.	STANDARDIS- ATION	Standardisation loss is obtained by deducting the total net weight of the standardised bags obtained from the total receipt / branded weight of the bags issued for standardisation.	Godown Incharge	
6.	AUTHENTICATION	Authentication of depositors representative may be taken on standardisation report.	Warehouse Manager	F/TECH/23

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S. Lal
14.6.99

ISSUED BY

I

II

III

ISSUE NO 1
PAGE REV NO NIL
PAGE 1 OF 1

क्रमांक	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	कीटनाशक रसायन का परिकलन	<p>क) मैलाथियन (50 प्रतिशत ईसी)</p> <p>क) तनूकरण : 1 : 100 (पानी में)</p> <p>ख) मात्रा निर्धारण :</p> <p>i) स्टॉक पर सतह उपचार के लिए 3 लीटर/100 वर्ग मी०</p> <p>ग) आवृत्ति : दो सप्ताह</p> <p>ख) डी.डी.वी.पी. 76 प्रतिशत ईसी</p> <p>क) तनूकरण : 1 : 100 (पानी में)</p> <p>ख) मात्रा निर्धारण :</p> <p>i) दीवारों और खाली स्थानों के लिए तीन लीटर/100 वर्ग मीटर</p> <p>ii) एयर चार्जिंग के लिए 1 लीटर/100 सीयूएमटी</p> <p>ग) आवृत्ति : तीन सप्ताह में एक बार</p> <p>ग) डेल्टा मेथिन (2.5 प्रतिशत डब्ल्यू पी)</p> <p>क) तनूकरण : 3 लीटर पानी में 120 ग्राम</p> <p>ख) मात्रा निर्धारण : सतह उपचार दीवारों आदि के लिए 3 लीटर/100 वर्ग मी०</p> <p>ग) आवृत्ति : तीन महीने में एक बार</p> <p>घ) बेगॉन सांद्र :</p> <p>क) तनूकरण : 1 : 40 (पानी में)</p> <p>ख) मात्रा निर्धारण : सतह उपचार के लिए 3 लीटर/100 वर्ग मी०</p> <p>ग) आवृत्ति : कोंकोचों, मक्खियों एवं मच्छरों आदि के लिए जब कभी अपेक्षित होने पर ।</p> <p>ड) क्लोपिरिफस :</p> <p>क) तनूकरण : 1 : 19 (पानी में)</p> <p>ख) मात्रा निर्धारण : 3 लीटर/100 वर्ग मी०</p> <p>ग) आवृत्ति : दीमक नियंत्रण के लिए जब कभी अपेक्षित होने पर ।</p>	तकनीकी प्रभारी	

S.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERANCE
1.	Calculation of Insecticidal Chemical	<p><u>(A) Malathion (50 % EC) :-</u></p> <p>a) <u>Dilution</u> : 1 : 100 (In water)</p> <p>b) <u>Dosage</u> :</p> <p>i) 3 lit./100 sq.mt for surface treatment on stocks.</p> <p>c) <u>Frequency</u>: 2 weeks.</p> <p><u>(B) D.D.V.P (76 % EC) :-</u></p> <p>a) <u>Dilution</u> : 1 : 150 (In Water)</p> <p>b) <u>Dosage</u> :</p> <p>i) 3 lit./100 sq.mt. walls & vacant areas.</p> <p>ii) 1 lit / 100 cu mt for air charging.</p> <p>c) <u>Frequency</u> : Once in 3 weeks</p> <p><u>C) Delta-methrin (2.5 % WP) :-</u></p> <p>a) <u>Dilution</u> : 120 gms in 3 litres of water.</p> <p>b) <u>Dosage</u> : 3 lit /100 Sq.mt. for surface treatment, walls etc.</p> <p>c) <u>Frequency</u> : Once in three months.</p> <p><u>(D) Baygon Conc -</u></p> <p>a) Dilution : 1 : 40 (In water)</p> <p>b) Dosage : 3 lit./100 Sq.mt. for surface treatment.</p> <p>c) Frequency: As & when required for controlling cockroaches, flies & mosquitoes etc.</p> <p><u>(E) Chlorpyriphos -</u></p> <p>a) Dilution : 1: 19 (in water)</p> <p>b) Dosage : 3 lit./100 Sq.mt.</p> <p>c) Frequency : As & when required For termite control.</p>	Technical Incharge	

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S.Lal

14.6.99

ISSUED BY

I S.Lal

II 28/10

III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 1 OF 4

2. स्प्रेडिंग/छिड़काव की तैयारी	i) छिड़काव का कार्य करने से पहले गोदाम को झाड़कर साफ किया जाना चाहिए तथा संदूषण से बचने के लिए बिखरे हुए खाद्यान्न को इकट्ठा किया जाएगा । ii) छिड़काव करने की मशीन के नोजल, निकास पाइप आदि के अवरुद्ध होने, लीक करने आदि की जांच की जानी चाहिए । iii) स्प्रे तनुकरण रसायन को पानी में मिलाकर तैयार किया जाएगा ।	दायित्व संदर्भ
3. छिड़काव प्रक्रिया	छिड़काव का कार्य अनुभवी कार्मिकों द्वारा छिड़काव की मशीनों की सहायता से दोपहर बाद किया जाएगा ।	तकनीकी प्रभारी
4. छिड़काव करने के बाद के क्रियाकलाप	i) फालतू/प्रयोग में न लाए गए रसायन तनुकरण का प्रयोग बाहर बरामदे में किया जाएगा । ii) निकास द्वारों को छिड़काव के बाद बंद करके सील कर दिया जाएगा । iii) निकास, पाइप, नोजल आदि को प्रयोग के बाद बहते पानी से पूरी तरह साफ किया जाएगा ।	तकनीकी प्रभारी तकनीकी प्रभारी

पूर्व सावधानियां :

1. रसायन को पकड़ने एवं छिड़काव कार्य के दौरान आईशील्ड, दस्ताने आदि व्यक्तिगत संरक्षी उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
2. छिड़काव करने से पहले, स्प्रेयर और उनके नोजल की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए । नोजल और लेंस को मुंह से फूँका नहीं जाना चाहिए ।
3. हवा की दिशा के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए तथा शरीर के उपचारित स्थान के संपर्क न आने से बचने के लिए छिड़काव करते समय पीछे की ओर चलें ।
4. छिड़काव के दौरान कुछ चबाना, धूम्रपान करना या कुछ पीना नहीं चाहिए ।
5. छिड़काव का कार्य अकेले नहीं किया जाना चाहिए ।
6. हाथों और शरीर के अन्य भागों को उपचार किया की समाप्ति के बाद साबुन से अच्छी तरह धोया जाना चाहिए ।

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR SPRAYING

WI/TECH/03

- | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| 2. | PREPARATION FOR SPRAYING | <p>i) Before undertaking spraying, the godown shall be swept ,cleaned and spillage collected to avoid contamination.</p> <p>ii) The nozzle, delivery pipe etc of spraying machine should be checked for blockade, leakage etc.</p> <p>iii) Spray solution shall be prepared by mixing chemical in water.</p> | Technical Incharge
Technical Operator |
| 3. | SPRAYING PROCESS | Spraying shall be carried out by the experienced personal by using spraying machines preferably in the afternoon. | Technical Incharge |
| 4. | POST-SPRAYING ACTIVITY | <p>i) Excess / unused chemical solution shall be used outside on verandah.</p> <p>ii) The exit doors shall be closed & sealed after spraying.</p> <p>iii) After use delivery pipe, nozzle, etc to be cleaned with running clean water through it.</p> | Technical Incharge
Technical Operator |

PRECAUTIONS :

1. Personal protective equipments like eye-shield, hand gloves etc. should be used during handling of chemicals & spraying operations.
2. Before spraying, the sprayer and their nozzle should be checked thoroughly . Nozzle and lance should not be blown with mouth.
3. Spraying against the direction of wind should not be done and movement shall be backward while spraying to avoid body contact with treated area.
4. No chewing, smoking or drinking should be done while spraying.
5. Spraying should not be done alone.
6. Hands and other parts of the body should be thoroughly washed with soap & water after treatment is over.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S.Lal
14.6.99

ISSUED BY

I
II
III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 2 OF 4

7. खाद्य सामग्रियों को रखने के लिए प्रयोग में लाए गए कंटेनरों को रसायनों को मिलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए ।
8. खाली कीटनाशक कंटेनरों को नष्ट करके विहित मार्ग निर्देशनों के अनुसार उनका निपटान कर दिया जाना चाहिए ।
9. गोदामों/कक्षों में प्रवेश करने से पहले उनको कुछ समय तक खुला रखा जाना चाहिए ताकि संचित रासायनिक गैसों बाहर निकल जाएं ।
10. सिर चकराने/सिरदर्द आदि के मामले में प्रभावित व्यक्ति को बाहर ताजी हवा में ले जाया जाए और यदि आवश्यक हो तो उसे चिकित्सक को दिखाया जाए ।
11. विषाक्तता के मामले में प्राथमिक उपचार ।

11.1 रासायनिक विषाक्तता के लक्षण

- क चक्कर आना एवं सिर दर्द होना ।
- ख उल्टी होना ।
- ग दृष्टि में व्यवधान होना ।
- घ थकान होना ।
- ड. सांस लेने में कठिनाई होना ।
- च. दम घुटना ।
- छ. पतले दस्त होना ।

11.2 प्राथमिक उपचार कार्रवाई

यदि आवश्यक हो तो रोगी को चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए ।

i) सांस के द्वारा हुई विषाक्तता :

- क रोगी को ताजी हवा में ले जाया जाना चाहिए ।
- ख सभी कसे हुए कपड़ों को ढीला कर दिया जाएगा ।
- ग यदि श्वसन किया रूक गई हो या अनियमित हो तो कृत्रिम श्वसन का सहारा लिया जाए ।

ii) त्वचा संक्रमण :

- क त्वचा को पानी से तरबतर कर दिया जाना चाहिए ।

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR SPRAYING

WI/TECH/03

7. The containers used for keeping food materials should not be used for mixing the chemicals.
8. Empty pesticide containers should be crushed and disposed off as per the prescribed guidelines.
9. Godowns / rooms should be kept open for few hours before entry so that accumulated chemical fumes are diffused out.
10. In case of giddiness/headache etc the affected person shall be taken out in fresh air and shown to physician if needed.
11. First aid in case of Poisoning -
 - 11.1 Symptom of chemical poisoning
 - a) Dizziness & Headache
 - b) Vomiting
 - c) Visual disturbances
 - d) fatigueness
 - e) Laboured breathing
 - f) Suffocation
 - g) Diarrhoea
 - 11.2 First aid measure -

If necessary the patient should be taken to physician .

 - i) Inhaled Poisoning -
 - a) Patient shall be carried to fresh air.
 - b) All tight clothing shall be loosened.
 - c) Artificial respiration shall be resorted to if breathing is stopped or irregular.
 - ii) Skin Contamination -
 - a) The skin shall be drenched with water.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S.Lal
14.6.99

ISSUED BY

I
II
III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 3 OF 4

ख वस्त्रों से संक्रमण दूर करने के लिए जलधारा का प्रयोग किया जाए ।

ग त्वचा को शीघ्रता से और अच्छी तरह से पानी से साफ किया जाए ।

iii) आंखों का संक्रमण :

क आंखों की पलकों को खोलकर बहते पानी की कुछ मात्रा से आंखों को चिकित्सक के न आने तक धोते रहें ।

ख किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि रसायनों से चोट में वृद्धि हो सकती है ।

1.00

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR SPRAYING

WI/TECH/03

- b) Stream of water shall be applied while removing contaminated clothing.
- c) The skin shall be cleaned rapidly and thoroughly with water.
- iii) Eye contamination -
 - a) Eye lids shall be opened and washed with gentle stream of running water until physician arrives.
 - b) No chemical shall be used as they may aggravate the injury.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

[Handwritten signature]
14.6.99

ISSUED BY

I

II

III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 4 OF 4

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	धूमन का परिकलन	<p>i) मानकीकरण जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर किया जाएगा ।</p> <p>क) कवर धूमन के लिए 9 ग्रा0 एम टी की दर से</p> <p>ख) शोड धूमन के लिए 360 से 420 ग्रा0 100 क्यूबिक मी0 की दर से ।</p> <p>ii) मेथिल ब्रोमाइड/ईडीबी की मात्रा निर्धारण</p> <p>क) 1.5 से 2.2 कि0ग्रा0/100 क्यूबिक मी0</p>	तकनीकी प्रभारी	
2.	अनावरण अवधि	<p>i) एल्युमिनियम फासफाइड-कवर एवं शोड धूमन के लिए 5 से 7 दिन ।</p> <p>ii) मेथिल ब्रोमाइड/ईडीबी कवर धूमन के लिए 48 से 72 घंटे</p>	तकनीकी प्रभारी	
3.	धूमन का प्रयोग	<p>क) कवर धूमन</p> <p>i) एल्युमिनियम फासफाइड :</p> <p>क) पूर्व परिकलित निर्धारित मात्रा को सामान्यतः कमशः 40.40.20 के अनुपात में स्टॉक के शीर्ष, सभी साइडों और स्टॉक के नीचे वितरित करें ।</p> <p>ख) धूमन कवर को चट्टे के उपर फैला दे और उसके बाद चट्टे को ढक दें</p> <p>ग) गैस के रिसाव को रोकने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सीलिंग सामग्री द्वारा धूमन कवर को फर्श तल पर सील कर दे ।</p> <p>घ) यदि कोई गैस रिसाव है तो उपयुक्त विधि से उसकी जांच करें ।</p> <p>ii) मेथिल ब्रोमाइड/ईडीबी :</p> <p>क) फनल के नीचे बोरियों पर गनी रैग डालने के बाद चट्टे के सबसे उपरी भाग पर धूमन कवर फैला दें ।</p> <p>ख) धूमन कवर को सीलिंग सामग्री द्वारा तल स्तर पर सील कर दें ।</p> <p>ग) निकास पाइप को धूमन कवर के टॉप पर लगे फनल में डालें तथा शीर्ष और फनल को बांध दें ताकि रिसाव रुक जाए ।</p>	<p>तकनीकी प्रभारी</p> <p>तकनीकी ऑपरेटर (डी. ओ.)</p> <p>तकनीकी ऑपरेटर (डी. ओ.)</p> <p>तकनीकी ऑपरेटर (डी. ओ.)</p> <p>तकनीकी प्रभारी</p> <p>तकनीकी प्रभारी</p>	

SNO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERENCE
1.	Calculation of fumigant	<p>i) <u>Dosage of Aluminium Phosphide</u> a) @ 9 gm / MT for cover fumigation b) @ 360 to 420 gm / 100 cubic meter for shed fumigation.</p> <p>ii) <u>Dosage of Methyl bromide / EDB :-</u> a) @ 1.5 to 2.2 kg / 100 cubic meter.</p>	Technical Incharge.	
2.	Exposure period	<p>i) <u>Aluminium Phosphide</u> - 5 to 7 days for cover & shed fumigation.</p> <p>ii) <u>Methyl Bromide / EDB</u> - 48 to 72 hours for cover fumigation.</p>	Technical Incharge	
3.	Application of fumigant	<p>(A) Cover Fumigation i) <u>Aluminium Phosphide :-</u> a) Distribute the pre-calculated dosage in 6 to 8 enamelled/paper plates of at least 9" diameter spreading the tablets in single layer and keep them at different locations including beneath the crates, sides & top of stack. 3 - 4 tablets can be kept in between the bags also using paper plates / sample bags.</p> <p>b) spread the fumigation cover on the top of stack and then cover the stack.</p> <p>c) seal the fumigation cover on the floor level using sand snakes only, to prevent leakage of gas.</p> <p>d) Check the gas leakage if any by appropriate method.</p> <p>ii) <u>Methyl Bromide / EDB :</u> a) spread the fumigation cover on the top of the stack after putting gunny rags on bags under the funnel.</p> <p>b) seal the fumigation cover at floor level by the using sand snakes only to prevent leakage of gas.</p> <p>c) insert the delivery pipe into the funnel provided on the top of the fumigation cover and tie them to prevent the leakages.</p>	Technical Incharge Technical Operators (DO) Technical Operators (DO) Technical Incharge Technical Incharge	

APPROVED BY I.C.CHADDA
MANAGER(TECHNICAL)*Amadb*
17.3.2012ISSUED BY
I QAD
II
III*W. S. J.*
*26/03/03*ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. 1
PAGE NO. 1 OF 4

घ) मेथिल ब्रोमाइड सिलिंडर को प्लेटफार्म स्कैल पर रखें ।

ड.) सिलिंडर का वजन रिकार्ड करें तथा सिलिंडर का नौब खोलकर धीरे-धीरे गैस की अपेक्षित मात्रा निकालें तथा बीच बीच में मापनी पर सिलिंडर का वजन करते रहें । 5 से 10 मिनट के बाद, फनल से पाइप हटा लें तथा फनल को मोड़कर धूमन कवर के साथ बांध दें ।

च) उपयुक्त विधि से गैस के रिसाव की जांच करें ।

ख.) शोध धूमन :

निकास द्वारों को छोड़कर संवातनों और गेटों को कागज चिपकाकर बंद करने का कार्य धूमक (एल्यूमिनियम फासफाइड) का प्रयोग करने के बाद किया जाएगा । उसके बाद निकास द्वारों को बंद करके कागज चिपका कर सील कर दिया जाएगा ।

तकनीकी
प्रभारी
तकनीकी
ऑपरिटर
(डी. ओ.)

4. धूमन के बाद

i) अनावरण अवधि के पूरा होने के बाद कवर को हटा कर ठीक से मोड़ लें ।

ii) धूमन की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए स्टॉक का पुनः वर्गीकरण करें ।

iii) बोरियों को अच्छी तरह से झाड़े तथा मरे हुए कीटों और बचे हुए पाउडर को हटाने के लिए गोदाम की 2 दिन के भीतर सफाई करें ।

iv) धूमन के बाद मैलाथियन का छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाएगा ।

तकनीकी
प्रभारी
तकनीकी
ऑपरिटर
(डी. ओ.)

पूर्व सावधानियां :

1. आईशील्ड, दस्ताने, आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का धूमकों का प्रयोग करते समय प्रयोग किया जाना चाहिए ।
2. जांच करें कि धूमन कवर कटा हुआ या उसमें छिद्र तो नहीं हैं और यदि आवश्यक हो तो चट्टे पर डालने से पहले उसकी मरम्मत कराएं ।
3. धूमन कार्रवाई समाप्त होते ही धूमन स्थान को यथाशीघ्र छोड़ दें ।

d) keep Methyl Bromide cylinder on platform scale.

e) record the weight of the cylinder and release the required quantity of gas by opening the cylinder knob slowly & continuously checking the weight on scale. Close the knob of the cylinder after release of required quantity of gas. After 5 to 10 minutes, remove the pipe from the funnel fold and tie the funnel of the fumigation cover.

f) Check the leakage of gas by the appropriate method.

(B) Shed Fumigation :

Sealing by paper pasting on ventilators and gates except exit door shall be done followed by application of fumigant (Aluminium Phosphide). Then exit door shall also be closed and sealed by paper pasting.

Technical Incharge
Technical Operators
(DO)

4. Post Fumigation

- i) Remove the cover after completion of exposure period and fold properly.
- ii) Again classify the stock to check effectivity of fumigation.
- ii) Brush the bags thoroughly and clean the godown to remove dead insects and residual powder within 2 days.
- iii) Post fumigation spray of Malathion shall be given as per the need.

Technical Incharge
Technical Operators
(DO)

Precautions :-

- 1. Personal protective equipments (PPE) like eye shield, hand gloves, etc should be used during handling of fumigants.
- 2. Check the fumigation covers for cuts, holes etc and resort to repairing, if needed before putting on the stack.
- 3. Leave the site of fumigation as soon as the process is over.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

ISSUED BY

Handwritten signatures and dates:
 S.LAL, M(T) [Signature]
 14.6.99
 I [Signature] 1476
 II [Signature] 28/10
 III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 2 OF 4

- 12
4. धूमन किए गए चट्टे पर और शेड के निकास द्वारों पर 'खतरा' लिखकर प्रदर्शित करें ।
 5. धूमन की पूरी कार्रवाई तकनीकी प्रभारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए ।
 6. अनावरण अवधि के बाद, उसमें किसी व्यक्ति के प्रवेश से पहले कुछ घंटों तक शेड को खुला छोड़ दें ताकि उसमें एकत्रित गैस बाहर फैल जाए ।
 7. प्रचालक/तकनीकी स्टाफ रसायनों के संचालन संबंधी कार्य खाली पेट नहीं करेंगे ।
 8. सम्पूर्ण धूमन कार्रवाई के दौरान धूमपान/माचिस की तीलियों का न जलाएं ।
 9. गंध द्वारा निर्दिष्ट गैस रिसाव के मामले में सीलिंग को मजबूत कर दें ।
 10. चूंकि गैस प्रज्वलनशील होती है इसलिए धूमन की प्रक्रिया के दौरान अग्निशामक उपकरण को तैयार रखें ।

विषाक्तता की स्थिति में प्राथमिक उपचार

11.1 रासायनिक विषाक्तता के लक्षण

- क) चक्कर आना एवं सिरदर्द होना
- ख) उल्टी होना ।
- ग) दृष्टि में व्यवधान होना ।
- घ) थकान होना ।
- ङ.) सांस लेने में कठिनाई होना ।
- च) दम घुटना ।
- छ) पतले दस्त होना ।

11.2 प्राथमिक उपचार की कार्रवाई

यदि आवश्यक हो, तो रोगी को चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए ।

i) सांस द्वारा हुई विषाक्तता

- क) रोगी को ताजी हवा में ले जाया जाना चाहिए ।
- ख) सभी कसे हुए कपड़ों को ढीला कर दिया जाए ।
- ग) यदि श्वसन क्रिया रूक गई हो या अनियमित हो गई हो तो कृत्रिम श्वसन का सहारा लिया जाना चाहिए ।

ii) त्वचा संक्रमण

- क) त्वचा को पानी से तरबतर कर दिया जाना चाहिए ।

4. Display " DANGER " symbols on the fumigated stack and exit door of the shed.
5. Entire operation of fumigation should be carried out in the presence of Technical Incharge .
6. After exposure , period leave open the shed for few hours before entry of any person so that accumulated gas diffuses out .
7. Operators / Technical staff while handling chemicals shall not work with empty stomach.
8. Do not smoke / light match stick during entire fumigation operation and near the fumigated stack.
9. In case of gas leakage indicated by characteristic smell strengthen the sealing.
10. Keep the fire fighting equipment ready as gas is inflammable during the process of fumigation.

First aid in case of Poisoning -

11.1 Symptom of chemical poisoning

- a) Dizziness & Headache
- b) Vommiting
- c) Visual disturbance
- d) Fatigueness
- e) Laboured breathing
- f) Suffocation
- g) Diarrhoea

11.2 First aid measure -

If necessary the pateint should be taken to physician .

i) Inhaled Poisoning -

- a) Patient shall be taken out to fresh air.
- b) All tight clothing shall be loosened.
- c) Artifical respiration shall be resorted to if breathing is stopped or irregular .

ii) Skin Contamination -

- a) The skin shall be drenched with water.

APPROVED BY **S.LAL, M(T)**

S.Lal
14.6.99

ISSUED BY

I *[Signature]* 15/6
II *[Signature]* 28/7/00
III

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 3 OF 4

- 12
- ख) वस्त्रों का संक्रमण दूर करने के लिए जल धारा का प्रयोग किया जाए ।
- ग) त्वचा को शीघ्रता से और अच्छी तरह से पानी से साफ किया जाए ।
- iii) आंखों का संक्रमण :
- क) आंखों की पलकों को खोलकर बहते पानी की कुछ मात्रा से आंखों को चिकित्सक के न आने तक धोते रहे ।
- ख) किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि रसायन से चोट में वृद्धि हो सकती है ।

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR FUMIGATION

WI/TECH/04

- b) Stream of water shall be applied while removing contaminated clothing.
- c) The skin shall be cleaned rapidly and thoroughly with water.

iii) Eye contamination -

- a) Eye lids shall be opened and washed with gentle stream of running water until physician arrives.
- b) No chemical shall be used as they may aggravate the injury.

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S. Lal
14.6.99

ISSUED BY.

I

II

III

2876
2876

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO. 4 OF 4

कम संख्या	क्रियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	सूचना	i) संबंधित जमाकर्ता को तथ्य की लिखित सूचना दी जाएगी और उसकी प्रति क्षेत्रीय/कारपोरेट कार्यालय को दी जाएगी । क) कवर धूमन के लिए 9 ग्रा0 एम टी की दर से ii) यदि प्रभावित स्टॉक बीमा दावे के अंतर्गत है तो संबंधित बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा ।	भांडागार प्रबन्धक	
2.	पृथक्करण	पृथक्कृत बोरियों को तिरपाल या काली पोलिथिन शीट पर एकल परत में रखा जाना चाहिए । क्षतिग्रस्त भाग को उपर रखा जाना चाहिए	तकनीकी प्रभारी/गोदाम सहायक	
3.	प्रक्रिया	i) क्षतिग्रस्त भाग को पानी के निशान तक काटकर खोल दिया जाएगा । ii) उसके बाद क्षतिग्रस्त स्टॉक को उपयुक्त साधनों से सावधानीपूर्व हटाया जाएगा ताकि क्षतिग्रस्त स्टॉक अच्छे स्टॉक में न मिले ।? iii) निस्तारित अच्छे स्टॉक और क्षतिग्रस्त स्टॉक को पुनः बोरियों में भरने से पहले पतली परत में फैलाकर अच्छी तरह सुखाया जाएगा । चावलों को केवल छाया में ही सुखाया जाना चाहिए ।		
4.	पुनः बोरियों में भरना	i) क्षतिग्रस्त, केक बने स्टॉक और खुले स्टॉक को अलग-अलग बोरियों में भरा जाएगा । ii) वर्षा से क्षतिग्रस्त टाट की बोरियों को पुनः स्टॉक भरने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । iii) निस्तारण के दौरान हुई मात्रा में हानि और उसके मूल्य में कमी की सूचना बीमा कंपनी को आगे भेजने के लिए आरओ/सीओ को दी जाएगी तथा उसे आंतरिक हैंडलिंग/रखरखाव रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा ।	गोदाम सहायक	एफ/टीईसीएच/24
5.	भण्डारण	दुबारा भरी गई बोरियों के स्टॉक को अलग और अच्छे स्टॉक से पृथक् भंडार किया जाएगा ।	गोदाम सहायक	

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR SALVAGING

WI/TECH/05

S.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERANCE
1.	Intimation	<p>i) The concerned depositor shall be informed of the fact in writing with copy to Regional / Corporate office.</p> <p>ii) In case the affected stock is under insurance claim Insurance Company shall be informed.</p>	Warehouse Manager	
2.	Segregation	Segregated bags should be kept in a single layer on tarpaulins or black polythene sheets with damaged portion on the upper side.	Technical Incharge / Godown Asstt	
3.	Process	<p>i) The damaged portion shall be cut open along the water mark.</p> <p>ii) The damaged stock then shall be carefully removed by suitable means to avoid mixing up with good stock.</p> <p>iii) The salvaged good stock and damaged stock shall be spread in thin layers and thoroughly dried before rebagging. Rice should be dried in shade only.</p>		
4.	Rebagging	<p>i) Rebagging of damaged and caked stock and loose stock shall be done separately.</p> <p>ii) Rain damaged gunnies shall not be used for rebagging of stock.</p> <p>iii) Loss in quantity and its value during salvaging shall be intimated to RO/CO for onward submission to Insurance company and posting shall be done in Internal Handling report.</p>	Godown Asstt	F/TECH/24
5.	Storage	Rebagged stocks shall be stored separately and distinctly from sound stocks.	Godown Asstt	

APPROVED BY

S.LAL, M(T)

ISSUED BY

[Handwritten Signature]
14.6.99

[Handwritten Signature]
28/7/20

ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NI
PAGE NO. 1 OF 1

क्रम संख्या	कियाकलाप	विवरण	दायित्व	संदर्भ
1.	नमूना चयन	i) क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के मामले में चिह्नित स्टॉक की 500 ग्राम प्रतिनिधिक सैम्पल/भांडागार में प्राप्ति/के पता लगने के 7 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। ii) उर्वरक के मामले में, सैम्पल राज्य सरकार के उपयुक्त अधिकारी द्वारा निकाली जाएगा तथा एफ सी ओ के अनुसार उसकी जांच की जाएगी।	भांडागार प्रबन्धक एवं तकनीकी स्टाफ	डब्ल्यूआई/टीईसीएच/01
2.	सैम्पल का विश्लेषण एवं श्रेणीकरण	खाद्यान्नों के मामले में, सैम्पल का विश्लेषण तत्काल क्षेत्रीय श्रेणीकरण समिति में किया जाएगा तथा परिणाम एफ सी आई नियम पुस्तक के अध्याय 4 के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। ii) उर्वरक के मामले में, विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उसे जमाकर्ता को भेजा जाएगा।	क्षेत्रीय श्रेणीकरण समिति	ईडी/टीईसीएच/02
3.	निपटान	i) खाद्यान्नों के मामले में, क्षतिग्रस्त स्टॉक को निपटान विहित मार्गनिर्देशनों के अनुसार किया जाएगा ii) उर्वरक के मामले में, क्षति स्टॉक का निपटान एफसीओ के तहत विहित मार्ग निर्देशनों के अनुसार किया जाएगा।	क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं भांडागार प्रबन्धक	ईडी/टीईसीएच/(एफसीओ 1985)

पूर्व सावधानियां

1. सभी क्षतिग्रस्त स्टॉकों का अलग चट्टा लगाया जाएगा तथा उस पर 'जारी करने के लिए नहीं' चिह्नंकित किया जाएगा।
2. जमाकर्ता को सूचना क्षतिग्रस्त स्टॉकों की प्राप्ति पर तत्काल दी जाएगी।
3. नमूना चयन/विश्लेषण का रिकार्ड भांडागार/आरओ स्तर पर रखा जाएगा।
4. नमूना चयन/विश्लेषण की समय अनुसूची और निपटान भांडागार/क्षेत्रीय कार्यालय पर अपनाई जाएगी।

CONTROLLED

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

WORK INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL OF DAMAGED STOCK

WI/TECH/06

S.NO	ACTIVITY	DESCRIPTION	RESPONSIBILITY	REFERENCE
1.	Sampling	i) In case of damaged foodgrain 500 gm representative sample of identified stock shall be sent to Regional lab within 7 days of receipt/ detection In warehouse .	Warehouse Manager . Technical Staff	WI/TECH/01
		ii) In case of fertilizer, sample shall be drawn by an appropriate officer of State Govt and the same shall be tested as per FCO.	Warehouse Manager & Technical INCHARGE	ED/TECH/ (FCO 1985)
2.	Analysis & Categorisation of Sample	i) In case of foodgrain, sample shall be analysed in Regional Categorisation Committee immediately and results shall be recorded as per FCI manual chapter 4.	Regional Categoriastion Committee	ED/TECH/ C 2
		ii) In case of fertilizer, on receipt of analysis report, the same shall be communicated to the depositor.	Warehouse Manager	
3.	Disposal	i) In case of foodgrains, disposal of damaged stock shall be done as per prescribed guidelines.	Regional Manager & Warehouse Manager	ED/TECH/ C 2
		ii) In case of fertilizer, disposal of damaged stock shall be done as per prescribed guidelines under FCO.	Regional Manager & Warehouse Manager	ED/TECH/ (FCO 1985)

Precautions :

1. All damaged stocks shall be stacked separately and marked as " NOT FOR ISSUE ".
2. Intimation to the depositor shall be given immediately on receipt of damaged stocks.
3. Record of sampling / analysis shall be maintained at warehouse / RO level.
4. Time schedule of sampling / analysis and disposal shall be followed at warehouse / Regional Office .

APPROVED BY S.LAL, M(T)

S.Lal
14-6-99

ISSUED BY

I *[Signature]*
II *[Signature]*
III

**ISSUE NO. 1
PAGE REV NO. NIL
PAGE NO 1 OF 1**